निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 722) पटना, मंगलवार, 24 अगस्त 2021

सं० 08/आरोप–01–127/2015/8671–सा०प्र०

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

11 अगस्त 2021

श्री संजय कुमार वर्मा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1005/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध अनुदानित खाद्यान्न एवं किरासन तेल की कालाबाजारी में संलिप्तता एवं धोखाधड़ी तथा गबन संबंधी आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4089 दिनांक 30.07.2012 द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–10930 दिनांक 03.08.2012 द्वारा श्री वर्मा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री वर्मा का स्पष्टीकरण (पत्रांक–2059 दिनांक 14.08.2012) प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोपों से इन्कार करते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। श्री वर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–13071 दिनांक 19.09.2012 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। स्मारोपरांत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–2041 दिनांक 02.06.2021 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल द्वारा अनुमंडल अन्तर्गत आवंटन एवं उठाव पर पर्यवेक्षण शत–प्रतिशत नहीं किया गया।

श्री वर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत श्री वर्मा को अनुमंडल अन्तर्गत आवंटन एवं उठाव पर शत–प्रतिशत पर्यवेक्षण नहीं करने का दोषी पाया गया। सम्यक विचारोपरांत श्री संजय कुमार वर्मा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1005/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप पत्र अनुमोदित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–19 के संगत प्रावधानों के तहत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए उन्हें निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः–

(i) **निन्दन (आरोप वर्ष–2011–12)**

(ii) **असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।**

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 722-571+10-डी0टी0पी0

Website: http://egazette.bih.nic.in